राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष डॉ0 पी0 एल0 पुनिया की अध्यक्षता में दिनांक 02.02.2016 एवं 03.02.2016 को हुई झारखण्ड राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष डॉ0 पी0 एल0 पुनिया की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक रॉची में दिनांक 02.02.2016 एवं 03.02.2016 को आयोजित की गई। दिनांक 02.02.2016 को आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के अनु0 जाति के स्वयंसेवी संगठनों एवं कर्मचारी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई जिसमें अनु0 जातियों की समस्याओं एवं उनके हित से जुड़े मुद्दों तथा सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों से उन्हें मिलने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न संगठनों/संघ के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

दिनांक 03.02.2016 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माननीय अध्यक्ष डॉ0 पी0 एल0 पुनिया की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई झारखण्ड सरकार की ओर से भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। बैठक में झारखण्ड राज्य के अनु0 जाति के कल्याण एवं विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं, राज्य सरकार की सेवा में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन एवं अनु0 जाति के सदस्यों पर घटित अत्याचार की घटनाओं की समीक्षा की गई।

सर्वप्रथम आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का अभिवादन किया गया तथा उन्हें आयोग के अधिकार एवं क्रिया–कलापों से अवगत कराते हुए समीक्षा बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय अनु0 जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हेतु वांछित सूचना पिछले एक वर्ष से मांगी जा रही थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अधूरी सूचना ही उपलब्ध कराई गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। बैठक में हुई चर्चा के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

1. शिक्षा

1.1 आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के अनु0 जातियों की साक्षरता प्रतिशत कम होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। झारखण्ड में अनु0 जाति के पुरूष एवं महिलाओं के बीच साक्षरता दर में बहुत अंतर होने पर ध्यान आकर्षित करते हुए इसे समाप्त/कम करने हेतु कारगर उपाय करने को कहा गया। झारखण्ड राज्य में अनु0 जाति के पुरूषों एवं महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 61.58ः एवं 37.07ः है। इस प्रकार अनु0 जाति के पुरूषों एवं महिलाओं के साक्षरता में 24.51ः का अंतर है। जबकि पूरे भारत के संबंध में यह अंतर 21.5ः है। महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा सूचना दी गई कि 12वीं कक्षा तक की शिक्षा महिलाओं को मुफ्त दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि इस अंतर को कम करने हेतु कस्तुरबा गॉधी विद्यालय स्थापित किया गया है जो अभी झारखण्ड राज्य के 203 प्रखंडों में संचालित है। कस्तुरबा विद्यालय में पढ़ाई 9वीं से विस्तार कर 12वीं तक किया गया है। कस्तुरबा विद्यालय में छात्राओं का स्वीकृत बल भी 100 से बढ़ाकर 150 किया गया है। सूचना दी गई कि झारखण्ड राज्य के 57 प्रखंडों में राज्य सरकार द्वारा बालिका आवासीय विद्यालय कक्षा 6 तक शुरू किया गया है जिसे कक्षा 12 तक ले जाने की योजना है।

1.2 माननीय अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि समाज में अमीर एवं गरीब लोगों के लिए अलग–अलग दोहरी शिक्षा प्रणाली लागू है। गरीब लोगों के बच्चों को सही ढंग से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती जिसके कारण आगे प्रतियोगिता में कठिनाई होती है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गरीब बच्चों को दी जा रही मुफ्त शिक्षा में अनु0 जाति के बच्चों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. छात्रावास

2.1 झारखण्ड राज्य में अनु0 जाति के बच्चों विशेषकर छात्राओं हेतु ज्यादा से ज्यादा छात्रावास बनाये जाने पर बल दिया गया। छात्रावास योजना के लिए 100 प्रतिशत राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है जिसका लाभ लिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनु0 जाति के छात्रों हेतु छात्रावास निर्माण पर जोर दिया गया।

2.2 माननीय उपाध्यक्ष द्वारा अनु0 जाति आवासीय विद्यालय, गोड्डा की खराब स्थिति पर असंतोष प्रकट करते हुए इसकी स्थिति बेहतर करने पर बल दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष द्वारा छात्रावासों का नामकरण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर करने का सुझाव दिया गया।

3. छात्रवृति

3.1 माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि प्रत्येक छात्रों को छात्रवृति का भुगतान हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनु0 जाति के कई छात्र मजबूरी में पढ़ाई छोड़ देते हैं। राज्य के बाहर पढ़ रहे छात्रों को समय पर छात्रवृति का भुगतान कराया जाना चाहिए। साथ ही, अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं को शून्य शुल्क पर नामांकन किया जाना चाहिए एवं उनके द्वारा भुगतान किये गये राशि की वापसी होनी चाहिए।

4. सेवा सुरक्षण

4.1 माननीय अध्यक्ष द्वारा इस पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया गया कि झारखण्ड राज्य की सेवाओं में एवं झारखण्ड राज्य द्वारा संचालित लोक उपक्रमों में अनु0 जाति कर्मियों के प्रतिनिधित्व की सूचना आयोग को उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इस संबंध में तथा बैकलॉग की गणना कर तत्संबंधी सूचना आयोग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4.2 झारखण्ड राज्य में अनु0 जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व 12.08ः है। झारखण्ड राज्य में पदों एवं सेवाओं में अनु0 जाति के लोगों हेतु 10ः मात्र आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। पदों एवं सेवाओं में आरक्षण के मूलभूत नियमों का पालन नहीं किया गया है। अनु0 जाति हेतु कम से कम 12ः आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

4.3 आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि झारखण्ड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के अनुसार अनु0 जाति के शिक्षकों का प्रतिशत मात्र 8.1ः है। अनु0 जाति के आबादी के अनुसार शिक्षक के पदों पर उनका प्रतिनिधित्व देने हेतु कार्रवाई किया जाना चाहिए।

4.4 माननीय अध्यक्ष द्वारा इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि विभागीय प्रोन्नति समिति में अनु0 जाति के अधिकारियों को नामित नहीं किये जाने या बहुत ही कनीय अधिकारी को नामित किये जाने की सूचना है। सरकार को प्रत्येक विभागीय प्रोन्नति समिति में अनु0 जाति के अधिकारियों को नामित किया जाना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नामित व्यक्ति उक्त समिति के अध्यक्ष के ठीक नीचे के ग्रेड का पदाधिकारी हो।

4.5 श्री राजू परमार, माननीय सदस्य द्वारा झारखण्ड सरकार में अनु0 जाति कर्मियों/पदाधिकारियों हेतु मुख्य सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया गया।

4.6 माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आयोग को यह सूचना मिली है कि सफाई कर्मियों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले में मैट्रिक प्रमाणपत्र मांगा जाता है। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों के आश्रितों के नियुक्ति के मामले में मैट्रिक प्रमाणपत्र मांगा जाना उचित नहीं है।

4.7 झारखण्ड राज्य में तकनीकी एवं न्यायिक सेवाओं में बैकलॉग की जानकारी राज्य सरकार द्वारा दी गई। बताया गया कि बैकलॉग पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है। यह भी जानकारी दी गई कि झारखण्ड सेवाओं में अनु0 जाति के कर्मियों के प्रतिनिधित्व की सूचना एकत्र की जा रही है।

4.8 बैठक में पी0एच0ई0डी0 विभाग में कार्यपालक अभियंता के रिक्त पद पर अनु0 जाति के योग्य पदाधिकारी को प्रोन्नति नहीं दिये जाने के मामले की चर्चा हुई। वरीयता के आधार पर अनु0 जाति के पदाधिकारियों को प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया गया। इस संबंध में विभागीय सचिव द्वारा एक महीने के अन्दर कार्रवाई कर सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

5. <u>अत्याचार</u>

5.1 माननीय अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि झारखण्ड राज्य में हालांकि अत्याचार की कम घटनाऐं घटित होती हैं फिरभी लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। झारखण्ड सरकार द्वारा अनु0 जाति के सदस्यों पर घटित उत्पीड़न की संख्या के संबंध में जो सूचना उपलब्ध करायी गई, समीक्षा के क्रम में सूचना सही नहीं पाया गया। पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड सरकार द्वारा सही सूचना आयोग को शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। आयोग के माननीय सदस्य द्वारायह भी उल्लेख किया गया कि पुलिस द्वारा अभियोजन कारगर नहीं रहने के कारण झारखण्ड में बवदअपबजपवद की दर अत्यंत कम 2.08ः है। इस पर ध्यान देने पर बल दिया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अन्तर्गत दर्ज मामलों की सूचना आयोग को उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

5.2 माननीय अध्यक्ष द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि झारखण्ड राज्य में अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि आयोग की जानकारी में उक्त समिति की अंतिम बैठक वर्ष 2007 में आयोजित की गई थी। नियमानुसार उक्त बैठक वर्ष में दो बार आयोजित किया जाना चाहिए। जिला स्तरीय बैठक भी

नियमानुसार आयोजित नहीं हो रहे हैं। उक्त सभी बैठक नियमानुसार समय पर आयोजित किया जाने चाहिए।

5.3 माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का ध्यान अनु0 जाति/जनजाति थाना की ओर भी आकृष्ट किया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि अनु0 जाति के लोगों पर हो रहे उत्पीड़न को कम करने एवं उन्हें न्याय दिलाने हेतु अधिक संख्या में अनु0 जाति द्वारा खोजा जाना चाहिए। साथ ही, पूर्व में खोले गये थानों को संसाधनयुक्त बनाया जाना चाहिए। उक्त थानों में अनु0 जाति के पदाधिकारियों को थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापन में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

5.4 श्री राजू परमार, माननीय सदस्य द्वारा झारखण्ड राज्य में ।जतवबपजल च्तवदम ।तमं पकमदजपलि करने पर बल दिया गया। माननीय सदस्य द्वारा अनु0 जाति के उत्पीड़न पीड़ितों को दी गई आर्थिक सहायता की भी जानकारी मांगी गई एवं लंबित मामलों की सूचना भी मांगी गई जो आयोग को तत्काल उपलब्ध नहीं कराया गया।

5.5 माननीय अध्यक्ष द्वारा अत्याचार के मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु हर जिले में म्गबसनेपअम विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने का सुझाव दिया गया।

6. <u>अनु0 जाति उप योजना</u>

6.1 माननीय अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि झारखण्ड राज्य में अनु0 जाति उप योजना के अन्तर्गत अधिकांश ऐसे योजना/कार्यक्रम शामिल किये गये है जिसका सीधा लाभ अनु0 जाति के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। अनु0 जाति उप योजनान्तर्गत ऐसे योजनाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अनु0 जाति उप योजनान्तर्गत सामान्य योजनाओं को शामिल किये जाने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा कड़ी आपति व्यक्त की गई। बताया गया कि इस योजनान्तर्गत अनु0 जाति के लोगों हेतु ैचमबपपिब एवं मगबसनेपअम योजनाऐं चलाई जानी चाहिए ताकि योजनाओं का सीधा लाभ अनु0 जाति के लोगों को प्राप्त हो सके।

7. <u>विकास की अन्य योजना</u>

7.1 <u>इंदिरा आवास योजना</u> झारखण्ड सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के संबंध में आयोग को कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा असंतोष प्रकट किया। आयोग इस बात की समीक्षा नहीं कर सका कि इंदिरा आवास योजना का 60ः लाभ अनु0 जाति/जनजाति के लोगों को प्राप्त हो रहे हैं या नहीं।

7.2 <u>भूमि का आवंटन</u> राष्ट्रीय अनु0 जाति आयोग को झारखण्ड सरकार द्वारा अनु0 जाति को लोगों को आवंटित भूमि का ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अनु0 जाति के भूमिहीन परिवारों को सर्वेक्षण कराकर उन्हें वास हेतु जमीन आवंटित किया जाना चाहिए। साथ ही, अनु0 जाति के लोगों को जो भूमि आवंटित की गई है उसपर उनका कब्जा सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

7.3 <u>कब्रिस्तान की घेराबंदी</u> माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि आयोग को यह सूचना प्राप्त हुई है कि अनु0 जाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे कब्रिस्तान पर दबंग लोगों द्वारा धीरे–धीरे कब्जा किया जा रहा है। अनु0 जाति के लोगों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे कब्रिस्तान की घेराबंदी की जानी चाहिए।

7.4 <u>खाद्य सुरक्षा अधिनियम</u> श्री राजू परमार, माननीय सदस्य द्वारा अनु0 जाति के लोगों के स्वास्थ्य एवं गरीबी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उन्होंने बताया कि आयोग को यह सूचना प्राप्त हुई है कि अनु0 जाति के योग्य सदस्यों का नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत जो लोग छूट गये हैं उन्हें 15 अप्रैल, 2016 तक शामिल किया जाना चाहिए।

7.5 <u>सिर पर मैला ढोने की प्रथा</u> माननीय सदस्य महोदय द्वारा डंददनंस`बंअमदहपदह ।बज के क्रियान्वयन की जानकारी मांगी गई जो आयोग को तत्काल उपलबध नहीं करया जा सका। डॉ0 राजकुमार वेरका, माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सफाई कर्मचारियों को नियमित करने पर बल दिया गया। उन्होंने सुझाव दिया कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति व्नज`वनतबपदह के आधार पर किया जाना उचित नहीं है, माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति में शिक्षण प्रमाणपत्र की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

8. अन्य चर्चा :–

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दूओं पर चर्चा हुई जिसमें आयोग द्वारा सुझाव दिये गये :–

8.1 <u>झारखण्ड राज्य अनु0 जाति परामर्श दातृ समिति</u> माननीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आयोग को सूचना प्राप्त हुई है कि झारखण्ड राज्य में अनु0 जाति परामर्श दातृ समिति का गठन किया गया है। परंतु समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि समिति को कार्यशील बनाया जाना चाहिए ताकि अनु0 जाति के विकास त्वरित गति से हो सके।

8.1.1 झारखण्ड राज्य में <u>अनु0 जाति आयोग के गठन</u> पर भी जोर दिया गया। बताया गया कि राज्य अनु0 जाति आयोग के गठन से अनु0 जाति के लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन संभव हो पाएगा।

9.1 <u>अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम</u> राज्य में अनु0 जाति के विकास हेतु अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम के माध्यम से रोजगारोन्मुख कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। परंतु अनु0 जाति संगठनों के साथ हुई बैठक में इसका सही लाभ अनु0 जाति के सदस्यों को नहीं मिलने की सूचना आयोग को प्राप्त हुई। आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम के कार्य–कलापों की जॉच कर उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं में तेजी एवं पारदर्शिता लाया जाना चाहिए।

9.1.1 माननीय अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि झारखण्ड में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कोई संस्थान/संस्था नहीं है। बाबा साहेब के नाम पर संस्थान/संस्था/पार्क/विश्वविद्यालय आदि स्थापित किये जाने चाहिए।

9.1.2 अनु0 जाति संगठनों के साथ हुई बैठक में आयोग को जानकारी प्राप्त हुई कि झारखण्ड राज्य में अनु0 जाति के कई मुहल्ले/टोला ऐसे हैं जहॉ बुनियादी सुविधाऐं भी उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष द्वारा ऐसे टोलों की पहचान कर बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।

9.1.3 आयोग द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र के मामलों की जानकारी मांगी गई। राज्य सरकार द्वारा जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने संबंधी सिर्फ एक मामला लंबित रहने की सूचना दी गई।

अंत में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनु0 जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

. . . . . गगग . . . . .

परिशिष्ट– 2

माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय अनु0 जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का झारखण्ड राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ दिनांक 03.02.2016 को आहूत बैठक में उपस्थिति

क. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1	श्री राजीव गौबा	मुख्य सचिव	झारखण्ड सरकार
2	श्री अरूण कुमार सिंह	प्रधान सचिव	नगर विकास एवं आवास विभाग
3	श्री अमित खरे	प्रधान सचिव	योजना–सह–वित विभाग
4	श्री डी0 के0 पाण्डेय	पुलिस महानिदेशक	पुलिस विभाग
5	श्री अजय भटनागर	अपर महानिदेशक	अपराध अनुसंधान विभाग
6	श्री सम्पत मीना	महानिरीक्षक	अपराध अनुसंधान विभााग
7	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	पुलिस अधीक्षक,	अपराध अनुसंधान विभााग
8	श्री जब्बर सिंह	विशेष सचिव	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
9	श्री हीरालाल प्रसाद	अभियंता प्रमुख	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
10	श्री विनय कुमार चौबे	सचिव	खाद्य–सह–महिला बाल विभाग
11	श्री कमल किशोर सोन	सचिव	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
12	श्रीमती आराधना पटनायक	सचिव	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
13	श्री सतेन्द्र सिंह	अपर वित आयुक्त	वित विभाग
14	श्री नितीन कुलकर्णी	सचिव	कृषि, पशु एवं सहकारिता विभाग

15	श्री मुखमीत भाटिया	प्रधान सचिव	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
16	श्री ए0 के0 भाटिया	विशेष सचिव	वन, पर्या. एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
17	श्री सुखदेव सिंह	प्रधान सचिव	वन, पर्या. एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
18	श्री रतन कुमार	सचिव	कार्मिक, प्रशा. सु. एवं राजभाषा विभाग
19	श्री के0 विद्यासागर	प्रधान सचिव	स्वास्थ्य विभाग
20	श्री एन0 एन0 सिन्हा	प्रधान सचिव	ग्रामीण विकास विभाग
21	श्री राजीव अरूण एक्का	सचिव	कल्याण विभाग

परिशिष्ट– 1

माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण, राष्ट्रीय अनु0 जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली का अनु0 जाति कल्याणकारी संगठनों/कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों/ आम जनप्रतिनिधियों के साथ दिनांक 02.02.2016 को आहूत बैठक में उपस्थिति

क. सं.	नाम	पदनाम	संगठन/संघ का नाम
1	श्री नागेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष	अनु0 जाति जनजाति कर्मचारी संघ, पलामू
2	श्री नन्द किशोर कुमार	कार्यालय सचिव	अनु0 जाति जनजाति कर्मचारी संघ, पलामू
3	श्री रामस्वरूप राम	प्रेस प्रवक्ता	पलामू
4	श्रीमती नीलम सुधा	सदस्य	आई0ओ0बी0, रॉची
5	श्री नरेश कुमार	.	अनु0 जाति संगठन झा0उ0वि0नि0लि0, रॉची
6	श्री प्रभु राम	–	शाहपुर, पलामू
7	श्री अशोक कुमार	–	झारखण्ड अजा/जजा अभियंत्रण संघ
8	श्री गोपाल राम	उपाध्यक्ष	अनु0 जाति/जनजाति कर्मचारी संघ, पलामू
9	श्री नत्थन रजक	महासचिव	अनु0 जाति/जनजाति कर्मचारी संघ, झारखण्ड, रॉची
10	श्री किशोरी रजक	–	झारखण्ड अजा/जजा अभियंत्रण संघ
11	श्री उपेन्द्र कुमार रजक	–	अखिल भारतीय अनु0 जाति महासंघ
12	श्री रंजन पासवान	–	अखिल भारतीय अनु0 जाति महासंघ
13	श्री जगदीश दास	उपाध्यक्ष	अनुसूचित महनागर
14	श्री दिनेश कुमार	राज्य उपाध्यक्ष	ऑल इंडिया अनु0 जाति/जनजाति महासंघ
15	श्री अशोक राम	राज्य अध्यक्ष	महादलित विकास मंच
16	श्री विश्वनाथ गंझू	प्रदेश सचिव	अनुसूचित महासभा
17	मोहम्मद शहनवाज	उपाध्यक्ष	अनु0 जाति/जनजाति/ओ.बी.सी. कौंसिल
18	श्री गणेश रवि	निदेशक	अम्बेदकर सामाजिक ट्रस्ट, पलामू
19	श्री लक्ष्मण लोहरा	सचिव	सम्पूर्ण ग्रामोदय केन्द्र, लोहरदगा
20	श्री धर्मेन्द्र कुमार	महामंत्री	
21	श्री रामपरीखा राम	सचिव	अखिल भारतीय अनु0 जाति
22	श्री राम बदन राम	–	स्वास्थ्य विभाग
23	श्री रिझू किस्कू	–	–

24	श्री अनिल कुमार	–	–
25	श्री राजा परदेशी	अध्यक्ष	अवार्ड, झारखण्ड
26	श्री गणेश गिरी	सदस्य	बिरसा जागृति परिषद
27	श्रीमती सुलेखा शर्मा	–	अवार्ड, झारखण्ड
28	श्री सुहेल राम	अध्यक्ष	झारखण्ड प्रदेश श्री गुरू रविदास महासभा
29	श्री कृष्णदेव राम	कोषाध्यक्ष	झारखण्ड प्रदेश श्री गुरू रविदास महासभा
30	श्री अशोक कुमार रवि	अध्यक्ष	अम्बेडकर नागरिक सेवा
31	श्री खुदा राम	प्रदेश प्रवक्ता	भाजपा अनु0 जाति मोर्चा
32	श्री लखन राम	अध्यक्ष	––
33	श्री रणजीत कुमार	जिलाध्यक्ष,	अनु0 जाति / जनजाति महासभा
34	श्री नन्दु प्रसाद	प्रबंध निदेशक,	अम्बेडकर समाज कल्याण परिषद
35	श्री सुरेन राम	अध्यक्ष	अनु0 जाति विभाग
36	श्री राजु राम	अध्यक्ष	रॉची महानगर कॉग्रेस समिति
37	श्री जुगल राम	महामंत्री	बाल्मिकी महासभा प्रदेश
38	श्री चुरामन दास	उपाध्यक्ष	ऑल इंडिया अनु0 जाति / जनजाति, एन.के.एरिया, सी,सी.एल
39	श्री सैनाथ	–	टाना भगत, सी0सी0एल0 एरिया
40	भरत बड़ाईचक	अध्यक्ष	झारखण्ड राज्य चौकबॉल संघ
41	श्री बिरेन्द्र राम	अध्यक्ष	ऑल इंडिया अनु0 जाति / जनजाति परिषद
42	श्री बिहारी राम,		
43	श्री देवकीनन्दन पासवान		
44	श्री कन्हाई पांसी	उपाध्यक्ष	अखिल भारतीय अनु0 जाति / जनजाति महासभा
45	श्री विकास कुमार	––	संत रविदास कल्याण समिति
46	श्री रणजीत राम	– –	संत रविदास कल्याण समिति
47	श्री रविन्द्र कुमार रवि	––	संत रविदास कल्याण समिति
48	श्री रामनौमी प्रसाद	–	जे. यू. भ. एन. एल
49	श्री जवाहर पासवान,	पूर्व अध्यक्ष	अनु0 जाति सहकारिता विकास निगम
50	श्री टिंकू राम	–	श्री रविदास मुहल्ला
51	श्री विरेन्द्र रंजन	–	–
52	श्री गोपाल मांझी	–	–
53	श्री वंशलोचन राम	महासचिव,	अनु0 जाति / जनजाति परिषद
54	श्री अशोक राम	–	मुख्य अभियंता
55	श्री आर. पी. रंजन	अध्यक्ष	
56	श्री मानिक चन्द्र राय	–	अनु0 जाति / जनजाति परिषद
57	श्री दयानन्द कुमार राम	–	तुपुदाना, रांची
58	श्री आनन्द कुमार लाल	अध्यक्ष	अनु0 जाति / जनजाति
59	श्री दिनेश राम	–	
60	श्री हरेन्द्र किशोर राम	–	
61	डा0 सहदेव राम	–	
62	श्री सुनील कुमार चौधरी	–	बी.एस.एन.एल, रॉची
63	श्री बृज किशोर राम	अध्यक्ष	अनु0 जाति / जनजाति परिषद
64	श्री बैजनाथ राम	उपाध्यक्ष	अखिल भारतीय अनु0 जाति / जनजाति परिषद, झारखण्ड
65	श्री श्याम नंदन प्रसाद	अध्यक्ष	बी.एस.एन.एल. अनु0जाति / जनजाति कर्मचारी संघ, रॉची
66	श्री राम सहदेव राम	प्रदेश सचिव	अखिल भारतीय अनु0 जाति / जनजाति / बी.सी. कर्मचारी परिषद

67	श्री राम पाल सिंह	प्रवक्ता	अखिल भारतीय अनु0 जाति/ जनजाति/बी.सी. कर्मचारी परिषद,
68	श्री राम प्रवेश राम	सचिव	अनु0 जाति/ जनजाति/बी.सी. कर्मचारी परिषद, रॉची
69	श्री बिन्देश्वर राम	अध्यक्ष	अनु0 जाति/ जनजाति/बी.सी. परिषद, रॉची
70	श्री संजय कुमार	–	